सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 368 राँची, गुरुवार, 24 जुलाई, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

4 जुलाई, 2025

संख्या-5/आरोप-1-66/2016 का०- 3954--श्री कार्तिक कुमार प्रभात, झा०प्र०से० कोटि क्रमांक-495/03), तत्कालीन भूमि सुधार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राँची के विरुद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राँची की कार्यावधि से संबंधित आरोप निगरानी आयुक्त, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-200, दिनांक-09.02.2010 द्वारा प्रतिवेदित किये गये ।

2. उक्त पत्र श्री प्रभात के विरुद्ध आरोप प्रतिवेदित किया गया कि इनके द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46 एवं 48 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 11 राजस्व वादों में अनुसूचित जनजाति की जमीन की खरीद-बिक्री की अनुमति दी गयी है एवं निगरानी थाना कांड सं०-26/2008 के नामजद अभियुक्त श्रीमती मेनन एक्का को गैर वैधानिक लाभ पहुँचाया गया है। इस प्रकार, श्री प्रभात द्वारा जनजातीय हितों के प्रति उदासीनता, कर्त्तव्यहीनता तथा अनुशासनहीनता बरती गयी है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है ।

3. श्री प्रभात के विरूद्ध विभाग स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए उक्त आरोपों हेतु श्री प्रभात को विभागीय आदेश सं०-6197, दिनांक-13.10.2010 द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं०-6198, दिनांक-13.10.2010 द्वारा श्री प्रभात के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

4. श्री प्रभात के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव-बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री प्रभात के विरुद्ध उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु वृहत् दण्ड प्रस्तावित किया गया जिसके लिए विभागीय पत्रांक- 6761, दिनांक-14.11.2011 द्वारा श्री प्रभात से द्वितीय कारण-पृच्छा की गयी ।

5. श्री प्रभात के पत्र, दिनांक-22.12.2011 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं०- 949, दिनांक- 02.02.2012 द्वारा श्री प्रभात को निलंबन मुक्त करते हुए श्री प्रभात के विरूद्ध निम्नवत् दण्ड अधिरोपित किया गया

1. इनकी तीन वेतनवृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक ।
2. प्रोन्नति की देय तिथि से अगले तीन वर्षों तक प्रोन्नति बाधित ।
3. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त इन्हें कुछ भी देय नहीं होगा ।

6. विभागीय संकल्प सं०-949, दिनांक- 02.02.2012 द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री कार्तिक कुमार प्रभात, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पत्रांक-2262, दिनांक-05.07.2012 द्वारा महामहिम राज्यपाल को अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-2262, दिनांक 05.07.2012 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ ।

7. श्री प्रभात के अपील अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या- 8909, दिनांक- 09.10.2015 के द्वारा श्री प्रभात के द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया ।

8. विभागीय संकल्प संख्या- 949, दिनांक- 02.02.2012 द्वारा अधिरोपित दण्ड एवं अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करने संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-8909, दिनांक- 09.10.2015 के विरूद्ध श्री प्रभात के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में रिट याचिका WP(S) No.-1858/2016 कार्तिक कुमार प्रभात बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया ।

रिट याचिका WP(S) No.-1858/2016 कार्तिक कुमार प्रभात बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 02.03.2017 को पारित आदेश के द्वारा उक्त रिट याचिका को निरस्त कर दिया गया ।

9. WP(S) No.- 1858/2016 कार्तिक कुमार प्रभात बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 02.03.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध श्री कार्तिक कुमार प्रभात के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपीलवाद LPA No.- 207/2017 कार्तिक कुमार प्रभात बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया ।

10. LPA No. 207/2017 कार्तिक कुमार प्रभात बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-01.05.2019 को पारित न्यायादेश में विभागीय संकल्प संख्या- 949, दिनांक-02.02.2012 द्वारा श्री प्रभात के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड एवं उक्त दण्ड के संबंध में समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने संबंधित विभागीय संकल्प संख्या- 8809, दिनांक-09.10.2015 को निरस्त कर दिया गया। साथ ही माननीय न्यायालय के द्वारा श्री कार्तिक कुमार प्रभात के विरूद्ध नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु मामले को अनुशासनिक प्राधिकार को वापस कर दिया गया। पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"-------12. Consequently, the impugned order dated 2.2.2012 passed by the Disciplinary Authority, imposing the punishments of stoppage of three annual increments with cumulative effect, stoppage of promotion for three years from the due date, and no payment except the subsistence allowance during the period of suspension, as contained in Annexure-10 to the memo of appeal, as well as the order dated 9.10.2015 passed by the Appellate Authority, dismissing the appeal of the writ petitioner, as contained in Annexure-12 to the memo of appeal, are hereby, quashed.

13. In view of the allegations against the writ petitioner, which prima facie show that he had acted in a manner unbecoming of a Government servant, we deem it fit to remand the matter to the Disciplinary Authority for a fresh departmental proceeding against the petitioner, in accordance with law. We direct that the departmental proceeding shall be concluded as expeditiously as possible, preferably within a period of six months of the date of the communication of the order.

14. We make it clear that we have deliberately not entered into the question of the meaning of the expression 'resident used in Section 46 of the CNT Act, and we leave this question also to be decided in the departmental proceeding afresh by the respondent authorities, if necessary in the facts and circumstances of the case.

15. This appeal is accordingly, allowed with the directions and observations as above."

11. LPA No.-207/2017 कार्तिक कुमार प्रभात बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक- 01.05.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं०-2661 (HRMS), दिनांक 10.06.2019 द्वारा श्री प्रभात के विरुद्ध पूर्व में

विभागीय संकल्प सं०-949, दिनांक 02.02.2012 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश एवं विभागीय संकल्प सं०-8909, दिनांक 09.10.2016 द्वारा अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करने संबंधी निर्गत आदेश को रद्द करते हुए श्री प्रमात के विरुद्ध पुनः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

12. विभागीय जाँच पदाधिकारी पदाधिकारी के पत्रांक-761, दिनांक 04.11.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कार्तिक कुमार प्रभात के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं प्रतिवेदित किया गया ।

13. श्री कार्तिक कुमार प्रभात के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) श्री प्रभात के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है कि उनके द्वारा अनुसूचित जनजाति की जमीन की खरीद बिक्री की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46 एवं 48 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 11 राजस्व वादों मे दी गयी है एवं निगरानी थाना कांड सं०-26/2008 के नामजद अभियुक्त श्रीमती मेनन एक्का को गैर वैधानिक लाभ पहुँचाया गया है।

उक्त आरोपों पर श्री प्रभात के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित है कि वर्णित सभी वादों में विक्रय के अनुमति देने के पूर्व विक्रेता के आवेदन पत्र पर स्थानीय जाँच करायी गयी। स्थानीय जाँच में संबंधित हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक, अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में विक्रेता एंव क्रेता दोनों के आदिवासी जनजाति का सदस्य होने और इन्हें एक ही थाना के निवासी पाया गया है। उनके द्वारा जमीन विक्रय के पक्ष में अनुशंसा भी की गयी है। उपरोक्त वादों में उनके द्वारा दी गयी अनुमति विधि-सम्मत अर्द्ध न्यायिक आदेश है। विक्रय के समय किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी थी और न ही अभी तक कोई आपत्ति है। क्रेता-विक्रेता द्वारा आदिवासी समुदाय एवं एक थाने का निवासी होने का शपथ पत्र दिया जाता है तथा उसी आधार पर जनजाति भूमि की विक्रय की अनुमति दी जाती है। सभी मामलों में उनके द्वारा आवेदकों का बयान और क्रेता से शपथ पत्र प्राप्त किया गया है ।

(ii) विदित हो कि CNT Act की धारा- 46 एवं 48 से आच्छादित मामलों में भूमि हस्तांतरण के लिए क्रेता एवं विक्रेता दोनों को एक ही थाना का निवासी होना चाहिए एवं श्री प्रभात के द्वारा भी इस संदर्भ में अपने स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित है कि संबंधित राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है कि क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी हैं एवं क्रेता एवं विक्रेता द्वारा शपथ पत्र भी समर्पित किया गया है ।

परन्तु आरोप पत्र में वर्णित सभी ग्यारह मामलों में श्रीमती मेनन एक्का को भिन्न-भिन्न थानों यथा-सदर थाना, डोरांडा थाना एवं ओरमांझी थाना में अलग-अलग भूमि के क्रय-विक्रय हेतु अनुमति दी गई है। जबकि CNT Act की उक्त प्रावधान अनुसार क्रेता एवं विक्रेता को एक ही थाना का निवासी होना चाहिए ।

उल्लेखनीय है कि एक ही साथ कोई व्यक्ति तीन अलग-अलग थाना का निवासी नहीं हो सकता है। स्पष्ट है कि श्री प्रभात के द्वारा CNT Act की धारा-46 के तहत् भूमि क्रयविक्रय की अनुमति देने में उक्त अधिनियम का उल्लंघन किया गया है ।

14. समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक-5093, दिनांक- 11.09.2023 के द्वारा श्री कार्तिक कुमार प्रभात, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-495/03), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राँची, सम्प्रति- सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत परिवर्तित करते हुए श्री प्रभात के पेंशन से 10%(दस प्रतिशत) राशि की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर श्री प्रभात से कारण पृच्छा की मांग की गयी। इस संबंध में विभागीय पत्रांक-5832 दिनांक-19.10.2023 एवं पत्रांक-6915 दिनांक- 12.12.2023 के द्वारा स्मारित भी किया गया, परन्तु श्री प्रभात से कारण पृच्छा का जबाव अप्राप्त रहा ।

15. समीक्षोपरान्त, श्री कार्तिक कुमार प्रभात, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-495/03), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राँची, सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43(ख) के तहत श्री प्रभात के पेंशन से 10%(दस प्रतिशत) राशि की कटौती 05(पाँच) वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदोपरांत विभागीय पत्रांक-1325, दिनांक- 22.02.2024 के द्वारा श्री प्रभात के विरुद्ध उक्त अनुमोदित दण्ड के बिन्दु पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से किया गया ।

16. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक- 1208, दिनांक- 04.06.2025 के द्वारा श्री प्रभात के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत उनके पेंशन से 10(दस) प्रतिशत राशि की कटौती 05(पाँच) वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित करने का परामर्श दिया गया है ।

17. अतः श्री कार्तिक कुमार प्रभात, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-495/03), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राँची, सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत श्री प्रभात के पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती 05 (पाँच) वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री कार्तिक कुमार प्रभात, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-495/03) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 368 - 50